

# राजस्थान युवा बोर्ड

(युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार)  
सवाई मानसिंह स्टेडियम, प्रथम तल, जयपुर टेलीफैक्स 0141-2741489

शेखावाटी युवा महोत्सव, सीकर, हल्दीघाटी युवा महोत्सव, राजसमन्द, हाडौती, युवा महोत्सव,  
कोटा, मारवाड़, युवा महोत्सव, जोधपुर (दो दिवसीय) युवा सांस्कृतिक महोत्सव-2023-24

## —:दिशा निर्देश :-

### (1) प्रस्तावना:-

राजस्थान युवा बोर्ड (युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार) द्वारा राज्य की लुप्त एवं दुर्लभ लोक कला एवं संस्कृति को संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन हेतु “शेखावाटी युवा महोत्सव, सीकर, हल्दीघाटी युवा महोत्सव, राजसमन्द, हाडौती, युवा महोत्सव, कोटा, मारवाड़, युवा महोत्सव, जोधपुर युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव” का आयोजन संबंधित जिले कलक्टर के मार्गदर्शन से किया जाना है। जिसमें राज्य के समस्त संभाग, शेखावाटी युवा महोत्सव, सीकर, हल्दीघाटी युवा महोत्सव, राजसमन्द, हाडौती, युवा महोत्सव, कोटा, मारवाड़, युवा महोत्सव, जोधपुर युवा सांस्कृतिक महोत्सव (संबंधित संभाग के समस्त ब्लॉक, जिलों में दो दिवसीय) स्तर पर “युवा महोत्सवों” का आयोजन किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य “राज्य के प्रतिभाशाली युवा कलाकारों की खोज करके, उन्हें प्रशिक्षण एवं सुविधा देकर, राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु तैयार करके उनको स्वावलम्बी बनाना।

इन महोत्सवों में विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं— सामुहिक लोक नृत्य, सामुहिक लोक गायन, शास्त्रीय गायन (हिन्दुस्तानी गायन), शास्त्रीय नृत्य— कथक, भारतनाट्यम, ओडिसी, शास्त्रीय वाद्यन्त्र— सितार, बासूरी, तबला, मृदंगम् वीणा, हारमोनियम, गिटार, नाटक, चित्रकला, आशु भाषण एवं राजस्थान की दुर्लभ एवं लुप्त कलाएं— फड, रावण हत्था, रम्मत, अलगोजा, माण्डणा, भित्तीचित्र, लांघामाँगणीहार, कठपुतली, खडताल, मोरचंग, भपंग आदि आयोजन के साथ राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार कर युवाओं को करियर मार्गदर्शन भी दिया जाना है।

इस महोत्सव में इच्छुक 15-29 वर्ष के प्रतिभाशाली युवा कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी हेतु राजस्थान युवा बोर्ड की वेबसाइट [www.youthboard.rajasthan.gov.in](http://www.youthboard.rajasthan.gov.in) पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने पर ही में सहभागिता रहेगी।

यह महोत्सव “राजस्थान युवा बोर्ड” के माध्यम से संबंधित आयोजन जिले के जिला कलक्टर के मार्ग दर्शन में किया जाना है।

इस महोत्सव का उद्देश्य “राज्य के प्रतिभाशाली युवा कलाकारों की खोज करके, उन्हें प्रशिक्षण की सुविधा देकर, राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु तैयार करके उनको स्वावलम्बी बनाना।

राज्य स्तरीय युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव” जयपुर में आयोजन किया जायेगा प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं, प्रमाण-पत्र एवं “कला रत्न” के नाम से पुरस्कार किया जायेगा।

(2) उद्देश्य :-

1. आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राज्य की लुप्त एवं दुर्लभ लोक कला संस्कृति को संरक्षण, सर्वधन एवं प्रोत्साहन हेतु।
2. राज्य के युवाओं में विभिन्न कला कलात्मक क्षेत्रों अपनी प्रतिभा को विकसित करने के हेतु प्रतिभाओं की खोज करना तथा युवा कलाकारों का डेटाबेस तैयार करना।
3. चयनित युवा प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रोत्साहित करना एवं संबंधित कला में उनकी योग्यताओं में वृद्धि करने हेतु उत्कृष्ट सुविधा उपलब्ध कराना।
4. ग्रामीण पारंपरिक कलाओं को प्रचारित करना।

(3) लक्ष्य:-

इन महोत्सवों का लक्ष्य "राज्य के प्रतिभाशाली युवा कलाकारों की खोज करके, उन्हें प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति की सुविधा देकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु तैयार करके उनको स्वावलम्बन बनाना।"

(4) ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन:-

- राजस्थान के युवा कलाकारों द्वारा अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
- राजस्थान युवा बोर्ड की वेबसाइट [www.youthboard.rajasthan.gov.in](http://www.youthboard.rajasthan.gov.in) खोलकर Cultural Youth Telent Search Festival में "PARTICIPANT REGISTRATION" पर क्लिक कर अपना संभाग अपना समस्त विवरण ऑनलाइन भरकर रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद उसका प्रिंट निकालकर संबंधित जिले महोत्सव में साथ में लेकर आवें।
- प्राप्त आवेदन-पत्रों की जांच कर सभी युवाओं को संभाग महोत्सव की सूचना देंगे।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रत्येक युवा कलाकारों के लिए अनिवार्य है यदि कोई युवा रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है तो पहले रजिस्ट्रेशन करके युवा कलाकार युवा महोत्सव में भाग ले सकता।

(5) गतिविधियां:-

1. सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं (सामुहिक लोक गायन, सामुहिक लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य- कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कचिपुरी, शास्त्रीय एकल गायन (हिन्दुस्तानी) नाटक, चित्रकला (भित्ती चित्र), आशू भाषण, शास्त्रीय वाद्य यन्त्र-हारमोनियम, तबला, बांसुरी, गीटार, सितार, मृदंग, वीणा साथ ही राजस्थान की लुप्त कला- फड, रावण हत्था, रम्मत, अलगोजा, माण्डणा, भित्तीचित्र, लांघामांगणीहार, कठपुतली, खडताल, मोरचंग, भपंग आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा।

क्र.सं	प्रतियोगिता का नाम	चयनित युवाओं की संख्या (प्रति संभाग)
1	समुहिक लोक नृत्य	20
2	समुहिक लोक गायन	10
3	नाटक (One At play Hindi & English)	15
4	शास्त्रीय नृत्य- कथक	1
5	भरतनाट्यम	1
6	ओडिसी	1
7	मणिपुरी	1
8	कचिपुरी	1
9	शास्त्रीय एकल गायन (हिन्दुस्तानी गायन)	1
10	आशू भाषण (Elocution)	1
11	शास्त्रीय वाद्य यन्त्र- सितार (Sitar)	1
12	बासूरी (Flute)	1
13	तबला (Tabla)	1
14	मृगदम् (Mridangam)	1
15	वीणा (Veena)	1
16	हारमोनियम (Harmonium)	1
17	गीटार (Guitar)	1
18	चित्रकला	1
19	लुप्त एवं दुर्लभ कला-फड, रावण हत्था, रम्मत, अलगोजा, माण्डणा, भित्तीचित्र, लांघामाँगणीहार, कठपुतली, खडताल, मोरचंग, भपंग इत्यादि	

**नोट:-**

1. राष्ट्रीय युवा महोत्सव में क्र. 1 से 18 तक ही प्रतिभागियों का भारत सरकार गाइड लाईन के अनुसार चयन किया जाना प्रस्तावित है,
2. राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना का प्रचार-प्रसार करने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा पाण्डाल लगाकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना।
3. युवाओं से राष्ट्र निर्माण एवं युवाओं के करियर हेतु मार्गदर्शन देना।

**(6) प्रतियोगिता में भाग लेने वाले युवाओं की योग्यता:-**

1. युवा महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी।
2. आयु 01 जनवरी, 2023 तक 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के चयनित दल जिला युवा महोत्सव में भाग लेगा।
3. आयु संबंध प्रमाण-पत्र- सैकेण्ड्री स्कूल प्रमाण-पत्र या आधार कार्ड या अन्य आयु संबंधी प्रमाण-पत्र।
4. राजस्थान का मूल निवासी हो।
5. अध्ययनरत एवं गैर अध्ययनरत युवा भाग ले सकते हैं।
6. प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना आवश्यक है।
7. प्रथम विजेता दल राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्राथमिकता दी जायेगी

**(7) निर्णायक मण्डल:-**

1. विभिन्न प्रतियोगिता के लिए निर्णायक मण्डल होंगे, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे।
2. निर्णायक मण्डल के सदस्यों में संबंधित कला के ख्याति प्राप्त/राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों/शिक्षकों/विशेषज्ञों को रखा जायेगा।
3. निर्णायक मण्डल स्वतन्त्र, निरपेक्ष, पारदर्शिता के अनुसार निर्णय करेंगे।

**(8) विजेताओं को पुरस्कार :-**

1. संभाग स्तरीय युवा महोत्सव में पर प्रत्येक प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेता दलों को कलारत्न लोगों सहित स्मृति चिन्ह पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा।

**(9) संभाग स्तर युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज युवा महोत्सव (दो दिवसीय) के आयोजन को प्रभावी क्रियान्वयन की रणनीति व कार्य :-**

1. संभाग स्तर पर प्रभावी आयोजन हेतु समितियों का गठन किया जाना है।
2. प्रचार-प्रसार- शिक्षा विभाग, भारत स्काउट एण्ड गाइड, एन.एस.एस. एवं नेहरू युवा केन्द्र संगठन, द्वारा युवा क्लबों के माध्यम से गांव-गांव में महोत्सव का प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
3. प्रचार- प्रसार, समाचार पत्रों में एवं टी.वी. एवं, पोस्टर एवं पम्पलेट, कियोक्स, बेनर्स।
4. युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव 2023-24 को अधिक प्रभावी संचालन हेतु अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। संबंधित विधायकगण, जिला प्रमुख, प्रधान एवं अन्य जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के अधिकारी, राजकीय संगीत संस्थान, गैर संगीत संस्थानों को भी महोत्सव में आमंत्रित किया जायेगा।
5. अधिक से अधिक प्रचार-प्रचार ब्लॉक के समस्त विधालय, महाविद्यालयों के माध्यम से रैलियों के द्वारा भी किया जा सकता है।

6. विभिन्न विभागों से समन्वय एवं सहयोग:— विभिन्न विभाग जैसे जिला खेल विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग, जिला उद्योग केन्द्र, जिला रोजगार विभाग, पर्यटक विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, उच्च शिक्षा एवं शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, सामाजिक न्यायिक एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम।
7. अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय:— सरकारी व गैर सरकारी संगीत संस्थान/संगठन जो युवा विकास संबंधी कार्यक्रम संचालित करते हों।
8. संभाग स्तर पर आने-जाने का वास्तविक किराया बैनर, स्टेज, माईक, टेन्ट, शामियाना, किराया।
9. फोटोग्राफी, दस्तावेजीकरण, विडियोग्राफी, स्मृति चिन्ह (अतिथियों व संदर्भ, विशेषज्ञों, निर्णायक गण हेतु) एवं विविध व्यय।
10. प्रतियोगिता में निर्धारित अंक प्राप्त होने वाले को विजेता धोषित किया जायेगा। अंको का निर्धारण निर्णायक मण्डल द्वारा किया जायेगा। किसी प्रतियोगिता में एक से अधिक विजयेता होने पर विजयी प्रतियोगियों की प्रतियोगिता आयोजित कर एक को ही विजेता धोषित करें। अतः प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए अलग-अलग एक विजेता को संभाग स्तर से ही राज्य स्तर पर भिजवाया जायेगा।
11. स्वीकृत बजट में से जिला कलक्टर महोदय अपनी सुविधा के अनुसार समायोजन कर सकेंगे।
12. युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव के प्रभावी आयोजन हेतु स्वीकृत बजट के अलावा आर्थिक सहयोग के लिए विभिन्न संस्थाओं से सम्पर्क कर आर्थिक सहयोग लिया जाना है।
13. युवा महोत्सव के सभी प्रतिभागियों का निर्धारित ऑनलाइन पंजीयन करने के बाद ही युवा महोत्सव में भाग लेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फार्म का एकजाई कर राजस्थान युवा बोर्ड को भिजवाये जायेगा।

(10) समितियों का गठन सफल आयोजन हेतु:-

संभाग स्तर पर समिति:-

- |     |  |            |
|-----|--|------------|
| 1.  | संभागीय आयुक्त-  | अध्यक्ष    |
| 2.  | संबंधित जिला कलक्टर-   | सदस्य      |
| 3.  | जिला पुलिस अधिक्षक-  | सदस्य      |
| 4.  | अति. जिला कलक्टर-  | सदस्य      |
| 5.  | आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका-   | सदस्य      |
| 6.  | जिला युवा अधिकारी, एन.वाई.के.एस.-  | सदस्य      |
| 7.  | सी.ओ. भारत स्काउट एण्ड गाइड -  | सदस्य      |
| 8.  | जिला खेल अधिकारी-  | सदस्य      |
| 9.  | कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना-   | सदस्य      |
| 10. | जिले में कार्यरत संगीत संगीत संस्थान के प्रतिनिधि- जैसे-<br>स्पीक मैके, विद्यालय, महाविद्यालय के संगीत संस्थान | सदस्य      |
| 11. | मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक -  | आयोजन सचिव |

### General guidelines for Programmes

1. Cultural Events of the Youth Festival would require to project fundamental values of Rajasthan, Indian culture by displaying values, integrity, truth, friendship, peace, devotion, loyalty, etc. with particular reference to Indian cultural heritage. These should
2. The chief organizer/coordinator (Events) may reschedule and pre announce programme on account of any sudden development.
3. It will be the responsibility of the contingent leader to ensure that the team reports for various events as per the time and order announced by the organizers.
4. The participants must bring their own musical instruments or other special items required for different items.
5. Three copies of a brief note mentioning themes of the items to be presented by the participants must be carried and submitted (if requested) at the time of registration.
6. Electronic instruments such as synthesizers etc. would not be permitted to play for competitive section items.
7. For all the items the decision of the panel of judges will be final and binding on all. No complaints and protest will be entertained.
8. All the items to be performed by the participants must be under the banner of the respective District. No group or solo performer (s) will be permitted to use their group/individual banners or identity.
9. Five to ten percent marks will be deducted if the performer (s) cross the maximum time limit for a particular item.
10. Meetings between the organizers and their in charges will be held prior to the Competitive Section items at a venue specified by the organizers.
11. Performers in item numbers 5-18 as mentioned in Form 'A' may bring accompanists at their own cost with prior intimation to the organizers through Form 'A'. However, the performers who require accompanists, should also intimate to the organizers through columns of Form 'A'. Dancers except in folk dance may also perform on pre record music cassettes. The organizers will not be responsible for the performance of the accompanists provided-

#### **Instructions for Competitive Items Folk Dance**

- a) Maximum number of participants allowed per team is **twenty**, which includes accompanists also. The team may consist of all boys, all girls or a mixture of both.
- b) The dance can be either primitive or a folk dance (Indian style) but not a classical or Ballets.
- c) Duration of the dance is **15 minutes**.
- d) For setting of the stage extra **five minutes** are allowed.
- e) Three copies of brief note (synopsis) giving the theme and the text of the song, if any, are to be submitted along with the entry form to the organizers.
- f) The participating team will be responsible for removal of their sets, properties etc, immediately after completion of their performance.
- g) **Judgment will base on rhythm, choreography, costumes, make-up, sets and overall effects.**
- h) **Pre-recorded music (tape, cassette, etc) is not permitted under this item.**

#### **Folk Song**

- a) Maximum number of **singers in a group is ten**.
- b) The folk songs should be taken from Indian songs, which could be in any regional language.
- c) No film songs are allowed.
- d) Maximum time allowed for the **folk song is 7 minutes**. The setting time for the group is **four minutes extra**.
- e) **Judgment of this item will base on the quality of singing only and not on make- up costumes and actions of the team.**

**One Act Play  
(English or Hindi Only)**

- a) Duration of the play is **45 minutes**. Time will count as soon as the signal is given or the team starts giving its introduction, whichever is earlier. Empty stage is to be followed strictly. For stage setting and removal of sets and properties, up to **10 minutes extra** will be given after taking charge of the stage.
- b) **The number of performers is twelve.**
- c) The participating teams shall bring their own set/stage property make-up materials etc. General properties such as light and ordinary furniture may be provided on advance information.
- d) The play should be in Hindi or English only.
- e) The participating team must report to the auditorium in charge at least two hours before the performance.
- f) Judgment will be based on the qualities of the play, like theme, acting, stage craft and overall impression.

**Classical Vocal Solo (Hindustani)**

- a. Maximum time allotted for the item is **15 minutes**.
- b. For setting of the stage, mike, accompanists sitting & instruments etc, **five minutes extra** will be given.
- c. Cinema songs are not allowed under these items.
- d. Sufficient thought and care must be exercised in the selection of raga and its composition.
- e. Judgment will be based on the qualities like swara, tal, recitation of bol, selection of raga and Composition and overall impression

**Elocution (Extempore)**

- a) The language should be Hindi or English only.
- b) Each participant will be given a maximum **four minutes** for presentation.
- c) The participant will pick up one slip from the container. S/he will speak on the topic shown in the picked up slip. Further chance for picking up another slip will not be given.
- d) Judgment will be based on the clarity of speech, flow, relevance to selected topic, non repetition of sentences, confidence, awareness about the topic, etc.

**Harmonium (light)**

- a) Maximum time allotted is **10 minutes**.
- b) For setting of the stage, mike **five minutes extra** will be given.
- c) Participants must bring their own instrument.
- d) Item should be presented in light music form, **film music is not allowed**.
- e) Judgment will be based on the qualities like **rhythm, technique, coherence, presentation, discipline, general impression**, etc.

**Classical Instrumental Solo (Sitar, Flute, Tabla, Veena and Mridangam)**

- a) Participants must bring their own instruments.
- b) Item can be presented either in Hindustani or Carnatic.
- c) Maximum time allotted
  - i) **For Sitar, Flute & Veena ----- 15 minutes** each and
  - ii) **For Tabla and Mridangam -----10 minutes** each.
- d) For setting of stage, mike, accompanist's sittings, **five minutes** extra will be given.
- e) Judgments will be based on the qualities, like **discipline, swara, composition and general impression**

**Instrumental- Guitar**

- a) Maximum time allotted is **10 minutes**.
- b) For setting of mike, tuning of instrument, etc. **five minutes extra** will be given.
- c) Participants must bring their own instrument.
- d) Item should be presented in Indian or Western music form.
- e) Judgment will be based on the qualities like **rhythm, coherence, technique, discipline, command on the instrument, overall impression**, etc.

**Classical Dances (Manipuri, Odissi, Bharat Natyam, Kathak & Kuchipudi)**

- a) Each participant will be allowed maximum time of **15 minutes for presentation**.
- b) **Extra five minutes** will be allowed for setting of stage, mike, sitting of accompanists, tuning of instruments, etc.
- c) Judgment will be based on the qualities like **Tal and Technique, Rhythm, Abhinaya or expression, costume, footwork and overall impression** etc.
- d) Three copies of a brief note on the description of dance, story involved in it, if any, with **its meaning in Hindi or English** must be submitted at the time of registration.

**The above general & specific rules, regulations are subject to change and at the discretion of the organizers/panel of Judges for respective items.**



**RAJASTHAN YOUTH BOARD**  
(Department of Youth Affairs & Sports Govt. of Rajasthan)

**Details of Participants For Programmes/Items Youth Festival-2023-24**

Name of the Division : -----

**COMPETITIVE SECTION:**

S.N	Item	Name of the Item	Details of Participants							
			S.N.	Name of the Participant	Gender	Category	Class	Date of Birth	Mobil No	E-mail
1	Folk Dance									
2	Folk Song									
<b>Classical Vocal Solo</b>										
3	Hindustani Vocal									
<b>Classical Instrumental Solo</b>										
4	Harmonium (Light)									
5	Mridangam									
6	Flute									
7	Veena									
8	Sitar									
9	Guitar									
10	Tabla									
<b>Classical Solo Danse</b>										
11	Bharatanatyam									
12	Manipuri									
13	Kuchipudi									
14	Kathak									
15	Udiya									
16	One Act Play (English or Hindi only)									
17	Elocution									
18	Drawing & Painting									
19	राजस्थान की लुप्त कला- फड, रावण हत्था, रम्मत्, अलगोजा, माण्डणा, भित्तीचित्र, लांघा मॉगणीहार, कठपुतली, खडताल, मोरचंग, भपंग आदि									

उद्घाटन सत्र के बाद आगन्तुक संभागी युवाओं को विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियों एवं टॉक शो के माध्यम से राज्य के सामाजिक, आर्थिक परिदृश्य एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जायेगी ।

प्रदर्शनियां एवं टॉक शोज का आयोजन :-

विभिन्न विभागों से समन्वय एवं सहयोग:- निम्नलिखित विभागों से समन्वय कर प्रदर्शनी हेतु पण्डाल बनाये जायेंगे जो निम्न प्रकार है :-

पाण्डाल का रंग	डोम/पाण्डाल का नाम	विभाग का नाम	विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य नाम
सफेद	महात्मा गांधी	रोजगार श्रम, उद्योग विभाग	1. रोजगार 2. केरियर काउंसलिंग 3. प्रदर्शनी
लाल	डॉ. भीमराव अम्बेडकर	महिला अधिकारिता विभाग, आई.सी.डी.एस., यूनीसेफ एवं यू.एन.डी.पी., खाद्य विभाग एवं अन्य एन.जी.ओ	1 महिलाओं से संबंधित ज्वलंत मुद्दों एवं युवाओं की भूमिका पर विस्तृत चर्चा 2 संबंधित विभागों की प्रदर्शनी 3 महिला सशक्तिकरण विषय पर विभाग के द्वारा विभिन्न जानकारी 4 मेहन्दी प्रतियोगिता एवं रंगोली प्रदर्शनी ।
केसरिया	राजीव गांधी	पंचायतीराज विभाग व सामाजिक अधिकारिता विभाग	1 पंचायतों पर ग्रामीण युवाओं के विकास से संबंधित चर्चा व 2 दोनों विभागों की प्रमुख योजनाओं संबंधी प्रदर्शनी तथा 3 दोनों विभागों के द्वारा युवाओं से संबंधित योजनाओं की जानकारी देना
पीला	भगत सिंह	हॉट बाजार	संबंधित संभाग में प्रसिद्ध विभिन्न वस्तुओं का हॉट बाजार लगाया जायेगा ।
हरा	सुभाष चन्द बोस	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	राज्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार